न्यायालय तहसीलदार गडरारोड़,जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या 15/2019 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 91

सायल		गैरसायल
राजस्थान सरकार जरिये	बनाम	श्री हाजी पुत्र आमद
पटवारी हल्का [illegible]		जाति मुसलमान निवासी हैलाजी
	तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर।

निर्णय

पत्रावली आज बमुकाम गडरारोड़ में पेश हुई गैरसायल की ~~[illegible]~~/अनु । पत्रावली का ध्यान से अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का [illegible] ने धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम हैलाजी के खसरा नंम्बर [illegible] रकबा [illegible] बीघा में से [illegible] बीघा किस्म गैर० गोचर राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर कर गैरसायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैरसायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लघंन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है साथ ही वार्षिक लगान के पुर्णाक का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपये 50 अक्षरे पचास रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैरसायल से वसुल हो।

टी.आर.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18/07/19 को सरेआम सुनाया गया।

तहसीलदार गडरारोड़

जुर्माना 50/- फसल नि. ....

कुल योग 50/- ...जि.के पृष्ठ सं. [illegible]

वर्ष 2019-20 ....मे इन्द्राज किया गया।

तहसील राजस्व लेखाकार